(6)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/31

दुर्गा आत्मज भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

––अपीलान्ट

बनाम

1. देराम उर्फ दयाराम आत्मज भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
2. रामकिशन आत्मज भूरा(मृतक) जर्ये कायम मुकाम–
   2/1 सन्तरादेवी बेवा रामकिशन जाति मीणा
   2/2 सीमादेवी बेवा रामकिशन जाति मीणा
   2/3 अमरसिंह आत्मज रामकिशन जाति मीणा
   2/4 धारासिंह आत्मज रामकिशन जाति मीणा निवासीगण ग्राम उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–

1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री महेन्द्र कुमार जैन, राजेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक, रेस्पो. 1 लगायत 2/3 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 28.02.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 23/2021 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2023 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया किकृषि भूमि ख.सं. 1626 रकबा 0.3885 हैक्टेयर, ख.सं. 1629 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, ख.सं. 1630 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, ख.सं. 1631 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, ख.सं. 1632 रकबा 0.1205 हैक्टेयर, ख.सं. 1673 रकबा 0.3885 हैक्टेयर, ख.सं. 1674 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, ख.सं. 1675 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, ख.सं. 943 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, ख.सं. 944 रकबा 0.1052

हैक्टेयर, ख.सं. 945 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, ख.सं. 946 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसं. 947 रकबा 0. 1942 हैक्टेयर, ख.सं. 948 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसं. 949 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, ख.सं. 951 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, ख.सं. 952 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, ख सं. 954 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, ख.सं. 967 रकबा 0.1295 हेक्टेयर, ख.सं. 968 रकबा 0.0324 हैक्टेयर कुल किता 20 कुल रकबा 3.7716 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज मे विस्थित है, उक्त भूमि जमाबंदी संवत् 2076 से 2077 की खतोनी संख्या 319 में वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार निरन्तर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। पक्षकारान के मध्य भूमि का बटवारा नहीं हुआ है। पक्षकारान ने काश्त करने की सुविधा की दृष्टि से हिस्से कर रखे है और हिस्से अनुसार मौके पर आपसी सहमति से सभी सहखातेदार काश्त करते आ रहे है। लेकिन पक्षकारान सहखातेदारों के मध्य उक्त भूमि की लगान, पिलाई जमा कराने में विवाद होता है तथा बंटवारा नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है। इसके साथ ही लगान वगेरह जमा कराने में पक्षकारान के मध्य आये दिन विवाद होता रहता हैं तथा खाता सामलाती होने के कारण अपने हिस्से की भूमियों को ठीक प्रकार से कल्टीवेट करने, अधिक उपजाउं योग्य बनाने तथा भूमियों पर स्थायी रूप से सिंचाई का स्त्रोत बनाने में वादी के सामने दिक्कत आ रही है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसके प्रत्येक खसरा संख्या के प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारों का हिस्सा एवं अधिकार है। बंटवारा नहीं होने से वादी अपने हिस्से की भूमि पर अपनी इच्छाअनुसार उसका उपयोग व स्थायी संसाधन नहीं लगा पा रहे है। तथा कृषि उपकरण वगेरह रखने व मवेशियों का भूसा वगेरह रखने के लिये स्थाई निर्माण भी नहीं कर पा रहा है व प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के होने से आये लडाई झगडा करते है, इसलिये वादी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाकर पृथक खाता कायम करवाने का अधिकार प्राप्त है, इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाकर वादी अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाकर खाता पृथक कायम करवाना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि का तहसील कार्यालय में चलकर आपसी सहमति से बंटवारा करवाने का आग्रह किया लेकिन प्रतिवादीगण बंटवारा करवाने से इन्कार हो गये है। वादी ने अन्तिम बार दिनांक 05.03.2021 को भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने का आग्रह किया तब प्रतिवादी 1 लगायत 2 ने वादी को धमकी दी की हम भूमि का बंटवारा भी नहीं करायगे। तुम्हारे हिस्से की भूमि पर हम जबरन कब्जा करेंगें तथा तुम्हे भूमि पर से बेदखल करेंगे तथा भूमि का बंटवारा किये बिना भूमि को खुर्द–बुर्द करेंगे। यही वाद उत्पत्ति का कारण है। वाद कारण अन्तिम रूप से दिनांक 05.03.2021 को उत्पन्न होने से वाद कारण निरन्तर जारी है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का हिस्से अनुसार भूमि का विविधवत बंटवारा करवाकर अपना खाता पृथक कायम करवावे एवं बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करें एवं वादी के हिस्से की भूमि पर दखलअंदाज नहीं करने हैतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावें। वादी संयुक्त खातेदारी की उक्त भूमि में निहित वादी के हिस्से की भूमि पर शांति पूर्वक काबिज है। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करते है तथा फसल बोने व काटने में व्यवधान पैदा करते है तथा भूमि पर आने जाने के रास्ते मे कब्जा करने की कोशिश करते है, इस कारण प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में दखल अंदाज नहीं करने, फसल बोने व काटने में व्यवधान पैदा नहीं करने, रास्ते पर अतिक्रमण नही करने तथा भूमि का

बंटवारा होने तक भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करने हैतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी प्रदान की जावे–(1) यह कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि कुल किता 20 कुल रकबा 3.7716 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी का पृथक खाता कायम किया जावें एवं बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा दिलाया जावें। (2) यह कि वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमि पर में व्यवधान पैदा नहीं करने, फसल बोने, काटने में दखलंदाज नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। (3) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादी को दिलाई जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2023 को वादग्रस्त भूमि के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की गई ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2023 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2023 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2/3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपीलाधीन एक पक्षीय आदेश दिनांक 12.10.2022 व एक पक्षीय निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2023 की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को दिनांक 20.01.2024 को प्रार्थी को वाद में एक पक्षीय करवाने व एक पक्षीय निर्णय व डिकी करवाने तथा प्रार्थी के कब्जे की भूमि उनके बँटवारे में प्रस्तावित करवाने व भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने पर न्यायालय में जाकर प्रकरण की जांच करने व नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 01.02.2024 को नकल प्राप्त करने पर उपरोक्त निर्णय व डिकी की जानकारी हुयी है, इस प्रकार जानकारी से यह अपील अन्तर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत है। अन्त में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया

जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय वस्तुस्थिति विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की तामिल हेतु भिजवाया गया सम्मन अपीलांट को प्राप्त नही हुआ है और तामिल कुलीन्दा ने अपीलांट का सम्मन पडोसी हेमराज को देकर गलत तामिल करवा कर न्यायालय में भिजवा दिया है जबकि अपीलांट की प्रोपरर तामिल करवानी चाहिए थी। न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. से तामिल करवाने के कोई आदेश जारी नही करने के बावजूद रेस्पो० संख्या 1 ने गलत तरीके से रजिस्टर्ड ए.डी. करवा कर न्यायालय में रसीद पेश कर दी और माननीय न्यायालय ने भी डाक डिलीवर होने के सबंध में सन्तुष्टि हुए बिना ही व डाक डिलीवर प्रमाण पत्र मॅगवाये बिना अपीलांट की तामिल होना मानकर अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 12.10.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही कर व दिनांक 16.08.2023 को एक पक्षीय डिकी व निर्णय करने में कानूनी भूल की है। अपीलांट भूतपूर्व सैनिक है जो वर्तमान में अपने गाँव उमर में निवास करता है। अपीलांट की तामिल करवाये बिना ही व तामिल के बाबत् डिलीवर प्रमाण पत्र पत्रावली पर लिये बिना ही/मंगवाये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही व एक पक्षीय निर्णय कर अपीलांट को सुनवाई के नैसर्गिक अधिकार से महरूम कर दिया है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो० संख्या 1 ने अपीलांट के कब्जे की भूमि को अपने हिस्से व बँटवारे में रखवाने के आशय से व अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करवाने के उदेश्य से रेस्पो० ने भारतीय डाक विभाग से डाक डिलवीर होने का प्रमाण पत्र न्यायालय में पेश नही किया है और डिलीवर प्रमाण पत्र पेश किये बिना ही प्रकरण में एक पक्षीय निर्णय व एक पक्षीय डिकी पारित करवा ली है और उक्त एक पक्षीय निर्णय व डिकी का अनुचित फायदा उठाकर अपीलांट के कब्जे की भूमि को रेस्पो० ने अपने बँटवारे में प्रस्तावित करवा लिया है जिससे अपीलांट पीड़ित है और अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है, ऐसी स्थिति में अपीलांट विवादित आदेश व निर्णय व डिकी को अपास्त करवा कर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करवाना चाहता है। अपीलांट को अपीलाधीन एक पक्षीय आदेश दिनांक 12.10.2022 व एक पक्षीय निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2023 की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। रेस्पो० संख्या 1 द्वारा अपीलांट को दिनांक 20.01.2024 को अपीलांट को वाद में एक पक्षीय करवाने व एक पक्षीय निर्णय व डिकी करवाने तथा अपीलांट के कब्जे की भूमि उनके बँटवारे में प्रस्तावित करवाने व भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने पर न्यायालय में जाकर प्रकरण की जांच करने व नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 01.02.2024 को नकल प्राप्त करने पर उपरोक्त निर्णय व डिकी की जानकारी हुयी है. इस प्रकार जानकारी से यह अपील अन्तर्गत अवधि नव्य प्रस्तुत है फिर भी अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब नाना जावे तो धारा 5 गीतय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2022 व एक पक्षीय निर्णय व एक पक्षीय डिकी दिनांक 16.08.2023 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट को जवाब दावा प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड फरमाया जावे।

अपील संख्या 2024/31
दुर्गा बनाम देराम उर्फ दयाराम वगै0

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2/3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया तथा अपीलांट को जारी सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी की अपीलांट को तामील हो चुकी थी। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की भलीं–भांति जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना करते हुए दिनांक 12.10.2022 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश विधि सम्मत रूप से प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार ही प्रश्नगत निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2023 पारित की गई है। जिस पक्षकार का जितना हिस्सा वादग्रस्त भूमि में निहित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रत्येक पक्षकार को उतने ही हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। किसी भी पक्षकार का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से को प्राथमिक डिकी में परिवर्तित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2023पक्षकारान के राजस्व अभिलेख में दर्ज हक हिस्से अनुसार ही पारित की गई है जो विधि सम्मत है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2023 से पूर्व ही अपीलांट की तामील हो चुकी थी अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2024 को पारित प्राथमिक डिकी की अपीलांट को प्रारंभ से ही जानकारी थी, इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा जानबूझकर प्राथमिक डिकी के विरूद्ध नियत समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलांट की ओर से अपील जानबूझकर विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य हे। चूंकि अपीलांट की ओर से प्रश्नगत अपील प्राथमिक डिकी दिनांक 16.08.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्राथमिक डिकी में केवल हिस्सा तय होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2023 पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2023 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

हमारे मत में सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का

अवलोकन किया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है इस कारण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.08.2023 की जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 12.10.2022 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश अंकित है। अतः हमारे मत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 15.07.2022 के अनुसार पत्रावली वास्ते जवाब नियत थी । आदेशिका दिनांक 15.07.2022 के पश्चात किसी भी तारीख में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किए जाने का अंकन नहीं है। आदेशिका दिनांक 12.10.2022 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश अंकित किया गया है। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जारी सम्मन नोटिस की अपीलांट को तामील नहीं हुई इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामील होना स्वीकार कर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश प्रदान किया गया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अपीलांट को जारी सम्मन नोटिस दिनांक 29.04.2021 का अवलोकन किया। अपीलांट को जारी उक्त सम्मन नोटिस के पृष्ठ भाग पर एक प्रति पड़ौसी को दिए जाने का अंकन है। उक्त सम्मन नोटिस पर अपीलांट द्वारा तामील होने का अंकन नहीं है तथा अपीलांट के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। अतः हमारे मत में दिनांक 29.04.2021 को जारी सम्मन नोटिस की अपीलांट को प्रोपर तामील नहीं होना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक अन्य सम्मन नोटिस संलग्न है जिस पर आगामी पेशी 23.08.2021 अंकित है तथा इस सम्मन नोटिस पर रजिस्टर्ड एडी जारी किए जाने की रसीद चस्पा की गई है जिस पर दिनांक 24.07.2021 अंकित है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त सम्मन नोटिस की अपीलांट को तामील होने के संबंध में डाक विभाग द्वारा जारी डिलीवर होने का कोई प्रमाण अथवा ट्रेक रिपोर्ट संलग्न नहीं है। अतः यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में आगामी पेशी दिनांक 23.08.2021 को उपस्थित होने हेतु अपीलांट को जारी सम्मन नोटिस की अपीलांट को तामील हुई हो। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं होना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह उत्तरदायित्व था कि अपीलांट की प्रोपर तामील करवाकर तथा उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.10.2022 में

अपीलांट को बावजूद तामील/सूचना अनुपस्थित होना मानकर एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2022 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित किया गया अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की बिना तामील करवाये तथा अपीलांट को सुने बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय बहस सुनकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2023 पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 23/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2023 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.04.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा